338

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ——— / निगरानी / 2012 / सिंगरौली

R-4075-I/12

श्री ........ द्वारा आज दि. 30-11-12 को प्रस्तुत

30-11-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

लाल चन्द्र पुत्र श्री रामसुन्दर केवट
निवासी ग्राम गोरबी तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली

——— आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदक

**निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर ज़िला सिंगरौली के प्रकरण क्र. 105 / निगरानी / 2011–12 आदेश दिनांक 09.10.2012 को पारित**

338

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4075/I/12, सिंगा., भोलचन्द्र / म.प्र. शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28/12/18 | आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 105/नि.०/11-12 में पारित आदेश दिनांक 09/10/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br><br>सदस्य | |